अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जेवर की स्थापना हेतु आवश्यक 1441 हैक्टेयर भूमि की व्यवस्था के सम्बन्ध में यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पत्र दिनांक 23 अप्रैल, 2018 द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव पर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 28 अप्रैल, 2018 को आहूत

<u>बैठक का कार्यवृत्त:-</u>

उपस्थिति (संलग्न है)

समुचित विचार-विमर्श के उपरान्त बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

1- अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जेवर की स्थापना हेतु आवश्यक 1441 हैक्टेयर भूमि की सोशल इम्पैक्ट एसेसमेन्ट (SIA) ड्राफ्ट रिपोर्ट पर जिलाधिकारी द्वारा नामित SDM, जेवर द्वारा जनसुनवाई की कार्यवाही समयान्तर्गत सम्पन्न की जाए।

2- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद-2(2) का परन्तुक (ii) के अन्तर्गत 70% भू-स्वामियों से सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाए।

3- बैठक में इस बात की सहमति बनी कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के साथ-साथ राजस्व अनुभाग-13 के शासनादेश दिनांक 19 मार्च, 2015 - *"भू-स्वामियों से आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में प्रक्रिया का निर्धारण" (यथा संशोधित)* में दी गई व्यवस्था के अनुसार यथा आवश्यकता भू-स्वामियों से भूमि क्रय की कार्यवाही प्रारम्भ की जाए। इस क्रय/अधिग्रहण हेतु प्रक्रिया का निर्धारण कर माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

4- क्रय/अधिग्रहण की गई भूमि को उत्तर प्रदेश सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग के नाम दर्ज किया जाएगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा इस हेतु प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जाए।

5- जेवर एयरपोर्ट के Phase-1 की भूमि तथा Core Activities की भूमि चिन्हित की जाए, और इस भूमि को प्राथमिकता के आधार पर पहले चरण में ही प्राप्त करने की कोशिश की जाए।

6- नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट को विकसित करने के उद्देश्य से एस0पी0वी0 कम्पनी को ज्वाइंट वेंचर कम्पनी के रूप में "Noida International Airport Limited" के नाम से गठित कर रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही की जाए। इस हेतु किसी विशेषज्ञ के माध्यम से कम्पनी का उद्देश्य, MoU, JV Agreement, Memorandum and Article of Association आदि निर्धारित करते हुए अग्रेतर कार्यवाही की जाए।

7- Joint Venture Company की शेयर होल्डिंग निम्नवत् निर्धारित की जा सकती है:-

- **i.** उत्तर प्रदेश राज्य सरकार- 37.5%
- **ii.** नोएडा- 37.5%
- **iii.** ग्रेटर नोएडा- 12.5%
- **iv.** यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण- 12.5%

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8- Joint Venture Company के निदेशक मण्डल में निम्नलिखित सदस्यों को सम्मिलित किया जाए-

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन- अध्यक्ष

2- निदेशक, नागरिक उड्डयन

3- सीआईओ, नोएडा

4- सीआईओ, ग्रेटर नोएडा

5- सीआईओ, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

6- औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के प्रतिनिधि, जो सचिव स्तर से अनिम्न हों।

7- वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के प्रतिनिधि, जो सचिव स्तर से अनिम्न हों।

9- कम्पनी के CEO को नियुक्त करने का अधिकार उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का होगा।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन विभाग
संख्या:- 49/2018/917/छप्पन-2018-31/16 टी0सी0
लखनऊ : दिनांक : 08 मई, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2. बैठक मे उपस्थित समस्त अधिकारीगण।
3. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
4. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ।
5. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।
7. निजी सचिव, विशेष सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन को विशेष सचिव महोदय के अवगतार्थ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in